



948/16डी
28/04/23

ई, मेल :- dforudraprayag@gmail.com

फोन/ फैक्स नं० :- +91-8126660575::

पता :- माई की गढ़ी निकट जवाही बाईपास रुद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

पत्रांक-
सेवा में,

3518 / 12-1(2) दिनांक

27/4/2023::

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
रुद्रप्रयाग।

विषय :-

जनपद-रुद्रप्रयाग के अन्तर्गत तोलब रो पांटी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.63 है० वन भूमि का गैर
वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।
PROPOSAL NO.-FP/UK/ROAD/12006/2016

सन्दर्भ :-

भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय नई दिल्ली की पत्र संख्या-5-3/2011-FC
(Vol-I) दिनांक 22.03.2022।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक प्रकरण में अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या-295/X-4-
17/1(26)/2017 दिनांक 06.07.2017 के द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। विषयांकित प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति
प्राप्त हुये 05 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु आतिथि तक विधिवत् स्वीकृति हेतु अपेक्षित है तथा प्रकरण में
एन०पी०वी० की धनराशि पुरानी दरों पर जमा की गई है। भारत सरकार के उक्त सन्दर्भित पत्र से जारी दिशा-निर्देश के
अनुसार ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण जिनमें 06 जनवरी 2022 से पूर्व सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है तथा
सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्ति से पांच वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद भी विधिवत् स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है में एन०पी०वी०
की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है। (प्रति संलग्न है)
भारत सरकार के उक्त पत्र से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रश्नगत प्रकरण में एन०पी०वी० की नई
दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का आंकलन निम्न प्रकार है-

1.	ईको-क्लास श्रेणी	=	V th
2.	हरियाली का घनत्व (प्रतिशत)	=	0.1 (10%)
3.	एन०पी०वी० की दर (प्रति है०)	=	10,05,210.00
4.	आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल (है०)	=	0.63
5.	कुल देय एन०पी०वी० की धनराशि (रुपये)	=	6,33,282.00
6.	पूर्व में जमा की गई एन०पी०वी० धनराशि (रुपये)	=	-4,13,910.00
7.	वर्तमान में देय एन०पी०वी० की धनराशि (रुपये)	=	2,19,372.00

(6,33,282.00-4,13,910.00) दो लाख, उनीस हजार, तीन सौ बाहत्तर मात्र की धनराशि कैम्पा कोष
में जमा की जानी है।

अतः उक्त धनराशि जमा करने हेतु डिमांड नोट प्रेषित है। आंकलित धनराशि उच्च स्तर से रत्यापित
होने के पश्चात् ही कैम्पा कोष में जमा करने के उपरान्त प्रकरण में प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तों
की संशोधित अनुपालन आख्या बिन्दुवार/कॉलमवार मय संलग्नक चार प्रतियों में शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करें,
ताकि प्रकरण का निस्तारण किया जा सके।
संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

संख्या- / दिनांकित।
प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड,
देहरादून।
2. वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड, पौड़ी।

उप वन संरक्षक,
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग, रुद्रप्रयाग।

सर्वो नाम भिन्न / कार्य का नाम कार्य हेतु 2023-24 नैतिक लक्ष्य नई योजना का अधिकार सहित योजनावार विवरण